



नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
18.08.2025	<p>दरखास्तगुजार ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय(सांगानेर), जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 95/2025 ब- उनवानी लक्ष्मण सिंह बनाम दुर्गालाल चौधरी व अन्य में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय(सांगानेर), जिला जयपुर से बिन्दुवार टिप्पणी तलब हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। नोटिस विपक्षीगण के रजिस्टर्ड जारी हो। पत्रावली दिनांक 29.09.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  जिला कलक्टर जयपुर </p>	
29/9/25	<p>पत्रावली पेश हुई व वकील पार्थी उपन व वकील पार्थी ने अवगत कराया कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी श्री हेमन्त सिंह RAS का अन्य स्थानांतरण हो चुका है, उनके विरुद्ध प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभावशून्य (INFRACTUOUS) हो चुका है। पार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वार्थिज किये जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: center;">  जिला कलक्टर जयपुर </p>	